

अंचल अधिकारी क.।। का कार्यालय

अभिलेख संख्या- २४/२०१७-१८

विषय: उत्तर- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

०१/११/२०२०

झारखण्ड सरकार के ड्राफ्ट-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सत्यापित श्री अनन्त मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा०ग०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं राष्ट्र प्रहित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खारस भूमि की कायम की गयी जायबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा गोकी ... शाना १५९ ... खाता संख्या-७०/२५ ... प्लॉट संख्या-
... एकबा ०.५० ... एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खारस, अनायाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के फकी-11 के खिले संख्या १ के पृष्ठ संख्या-४५ पर जमाबंदी रैयत त्रिभु कुमहार के नाम से कायम है।
पिता देवा कुमहार

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जायबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना राक्षस प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोदरती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोदरती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ राक्षस दुरुकृत्य के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लग एवं राजस्व को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सुविधा अनायाद अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरमजनों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राक्षस प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक ११/११/२०२० को उपर्युक्त करें।

लेखाधिकार एवं सहायक
अंचल अधिकारी

[Signature]
अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
28/11/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत भीखु कुम्हार पिता सबेरा कुम्हार के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 020641 वर्ष 2014-15 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा गोसो, थाना नं० 149 के सर्वे खतियान में खाता सं० 70 प्लॉट सं० 07 भूमि गैरमजुरुआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी ii में खाता सं० 70/25 प्लॉट सं० 61/934 रकबा 0.50 एकड़ भूमि भीखु कुम्हार पिता सबेरा कुम्हार के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा गोसो थाना नं० 149 खाता सं० 70/25 प्लॉट सं० 61/934 रकबा 0.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत भीखु कुम्हार पिता सबेरा कुम्हार के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा गोसो थाना नं० 149 खाता सं० 70/25 खेसरा सं० 61/934 रकबा 0.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।</p> <p>लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	